बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वार्षिक लेखा-विवरण और अभिलेखों का फार्म) नियम, 2001 – जी.एस.आर. 459(ई), दिनांक 25.6.2001 के द्वारा प्रकाशित।

14/684

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24(2)(घ) के साथ पठित धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) ये नियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वार्षिक लेखा-विवरण और अभिलेखों का फार्म) नियम, 2001 कहलाएँगे।
  - ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
  - "अधिनियम" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अभिप्रेत है;
  - "अनुबंध" से उक्त फार्म के साथ दिया गया अनुबंध अभिप्रेत है;
  - "फार्म" से इन नियमों के साथ दिया गया फार्म अभिप्रेत है;
  - इन नियमों में प्रयुक्त, परंतु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिए निर्धारित है।

- **वार्षिक लेखा-विवरण और अन्य संबद्ध अभिलेख.—**प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के साथ समाप्त बारह महीने की अवधि की समाप्ति पर, प्राधिकरण उस अवधि के संदर्भ में एक तुलन-पत्र, एक आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा नीचे विनिर्दिष्ट फार्मों में तैयार करेगाः
- फार्म "ए" में तुलन-पत्र;
- फार्म "बी" में आय-व्यय लेखा;
- फार्म "सी" में प्राप्ति और भुगतान लेखा;

- **लेखों का अनुरक्षण, आदि.—**प्राधिकरण उपर्युक्त नियम 3 में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा का परिरक्षण उनके संबंधित वर्ष के बाद पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए करेगा।

- **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.**—नियम 3 में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा पर प्राधिकरण के मुख्य लेखा अधिकरी, यदि कोई हो, के द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे तथा प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

फार्म ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च .... की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)	देयताएँ	चालू वर्ष के आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)	आस्तियाँ	चालू वर्ष के आंकड़े (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सामान्य निधिः • आईआरडीए निधि (टिप्पणी 4 देखें) • वर्ष के प्रारंभ में • वर्ष में प्राप्तियाँ • वर्ष के अंत में शेष • पूँजीगत निधि • पूँजीगत अनुदान • वर्ष के प्रारंभ में शेष - जोड़ें : वर्ष के दौरान अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल आस्तियों का मूल्य • अधिशेष और निधियाँ • पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष • जोड़ें : संलग्न आय-व्यय लेखे के अनुसार व्यय की तुलना में आय का आधिक्य • घटाएँ : संलग्न आय-व्यय लेखे के अनुसार आय की तुलना में व्यय का आधिक्य • वर्ष के अंत में शेष • उपहार और दान • अन्य शेष			अचल आस्तियाँ (टिप्पणी 1 देखें) अनुबंध । के अनुसार	

	ऋणः • जमानती (प्रयोजनार्थ दी गई जमानत बताते हुए) • गैर-जमानती • भारत सरकार से ऋण • अन्य ऋण चालू देयताएँ और प्रावधान (टिप्पणी 6 देखें) • विविध लेनदार • पूँजीगत मदों के लिए • अन्य मदों के लिए • प्रावधान • संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान • निवेश के मूल्य में निःशेषण के लिए प्रावधान • अन्य देयताएँ • व्यय न किये गये अनुदान • सरकारी अन्य ऋणों के लिए देय ब्याज • भविष्य-निधि, सेवानिवृत्ति और अन्य कल्याण निधियाँ • भविष्य-निधि • अन्य कल्याण निधियाँ • सेवानिवृत्ति लाभ निधि और स्टाफ लाभ निधि • अन्य			निवेश (मूल्यांकन की पद्धति – लागत पर अथवा बाजार मूल्य पर अथवा कोई अन्य मूल्यांकन निवेश की प्रत्येक श्रेणी के समक्ष निर्दिष्ट किया जाए (टिप्पणी 2 देखें) (i)केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (ii) यूनिट (iii)बैंकों के पास सावधि जमाराशियाँ (iv)अन्यः यदि निवेशित राशि कुल निवेशों के 5 प्रतिशत से अधिक है, तो लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें चालू आस्तियाँ (टिप्पणी 3 देखें) (i)एजेंसियों के पास जमाराशियाँ; (ii)स्टाफ को ऋण और अग्रिम; (iii)बीमा कंपनियों और अन्य से प्राप्य राशियाँ (विनिर्दिष्ट करें) (iv)अन्य चालू आस्तियाँ; (v)नकदी और बैंक शेष; (क) हाथ में नकदी (हाथ में चेकों और मार्गस्थ नकदी सहित); (ख) बैंक शेष।	

टिप्पणीः

- अचल आस्तियों से संबंधित सूचना अनुबंध I में दी जाए।
- निवेशों से संबंधित सूचना अनुबंध II में दी जाए।
- चालू आस्तियों से संबंधित सूचना अनुबंध III में दी जाए।
- आईआरडीए निधि का ब्योरा अनुबंध IV में दिया जाए (अधिनियम की धारा 16 के अनुसार निधि में केन्द्र सरकार, अन्य संस्थाओँ और निकायों से प्राप्त अनुदान शामिल किये जाने चाहिए)।
- आकस्मिक देयताओं का ब्योरा अनुबंध V में दिया जाए।

- लेखों का भाग बननेवाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और टिप्पणियों से संबंधित समस्त सूचना अनुबंध IX में दी जाए।
- स्थिति विवरण के सभी अनुबंध एवं लेखांकन नीति से संबंधित टिप्पणियाँ/ सूचना लेखों का भाग बनती हैं।

फार्म बी

31 मार्च .... को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा

व्यय	(रु.)	आय	(रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)
अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान स्टाफ सदस्यों के लिए भुगतान और प्रावधान (टिप्पणी 1 देखें) स्थापना व्यय किराया अनुसंधान और परामर्श शुल्क सेमिनार, सम्मेलन, प्रकाशन आदि (प्रतिपक्षी मद देखें) ब्याज (टिप्पणी 3 देखें) मूल्यह्रास पूँजीगत आस्ति बट्टे खाते डाली गई आस्ति को बट्टे खाते डालने पर हानि संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान विकास संबंधी व्यय संवर्धनात्मक व्यय व्यय से आय की अधिकता तुलन-पत्र में ले जाई गई		सहायता अनुदान (प्राप्त/प्राप्य) घटाएँ : पूँजीगत निधि में अंतरित शुल्कः पंजीकरण शुल्क नवीकरण शुल्क अन्य दंड, जुर्माना आदि सेमिनार, सम्मेलन और प्रकाशन आदि निवेशों से आय जमाराशियों पर ब्याज अग्रिमों पर ब्याजः 1.(i) आवास के प्रयोजनों के लिए स्टाफ-सदस्यों को प्रदत्त (ii) अन्य प्रयोजनों के लिए 2. अन्य विविध आय आय से व्यय की अधिकता तुलन-पत्र में ले जाई गई	

लेखों का भाग बननेवाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ – अनुबंध IX.

टिप्पणियाँ :

- कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान से संबंधित सूचना अनुबंध VI में दी जाए।
- स्थापना व्ययों से संबंधित सूचना अनुबंध VII में दी जाए।
- ब्याज राशि से संबंधित सूचना अनुबंध VIII में दी जाए।
- आय-व्यय लेखा के सभी अनुबंध एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंधित टिप्पणियाँ/ सूचना लेखों का भाग बनते हैं।

फार्म सी

31 मार्च .... को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	(रु.)	भुगतान	(रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)

प्रति, आगे लाया गया शेष • बैंक में नकदी • हाथ में नकदी • हाथ में चेक • नकदी/मार्गस्थ चेक पंजीकरण शुल्कः • बीमा कंपनियाँ • बीमा दलाल • बीमा सर्वेक्षक • बीमा एजेंट • अन्य नवीकरण शुल्कः • बीमा कंपनियाँ • बीमा दलाल • बीमा सर्वेक्षक • बीमा एजेंट • अन्य प्रति, बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से प्राप्त दंड, जुर्माना प्रति, सेमिनार, सम्मेलन आदि प्रति, निवेशों से आय प्रति, निवेशों का विक्रय प्रति, अनुदान • केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य से प्राप्त • उपहार और दान प्रति, ऋण प्रति, प्रकाशन आदि की बिक्री प्रति, आस्तियों की बिक्री प्रति, निम्नलिखित पर प्राप्त ब्याज • जमाराशियाँ • अग्रिम • अन्य प्रति, कर्मचारियों से वसूलियाँ • ऋण और अग्रिम • ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज • विविध प्रति, अन्य प्राप्तियाँ		द्वारा अनुसंधान और परामर्श शुल्क द्वारा सेमिनार, सम्मेलन, प्रकाशन आदि द्वारा किराया द्वारा विकास संबंधी व्यय द्वारा संवर्धनात्मक व्यय द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान • वेतन और भत्ते • अन्य लाभ • यात्रा संबंधी व्यय द्वारा स्थापना व्यय • वेतन और भत्ते • अन्य लाभ • यात्रा संबंधी व्यय • सेवानिवृत्ति लाभ द्वारा कार्यालय व्यय द्वारा निम्नलिखित पर ब्याज • सरकारी ऋण • अन्य ऋण द्वारा आस्तियों की खरीद (विनिर्दिष्ट करें) द्वारा पूँजीगत चालू कार्य द्वारा स्टाफ और अन्य को ऋण/अग्रिम द्वारा निवेश द्वारा सरकारी ऋणों की चुकौती द्वारा अन्य ऋणों की चुकौती द्वारा अन्य व्यय द्वारा आगे ले जाया गया शेष • बैंक में नकदी • हाथ में नकदी • हाथ में चेक • मार्गस्थ नकदी/चेक	

अनुबंध I

31 मार्च .... को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बनी हुई अचल आस्तियों की अनुसूची

विवरण	सकल खंड	मूल्यह्रास	निवल खंड

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास				निवल खंड	
	1-4-...को मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बेची/ निपटाई गई	31-3-... को कुल योग	1-4-...को	वर्ष के लिए	समायोजन	31-3-.... को	31-3-... को	31-3-... को
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कार्यालय परिसर • भूमि • भवन आवासीय फ्लैट • भूमि • भवन वाहन उपस्कर फर्नीचर और जुड़नार कंप्यूटर उपस्कर अन्य कुल										

अनुबंध II

31 मार्च .... को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

निवेश

क्रम सं.	विवरण								चालू वर्ष के आंकड़े	पिछले व के आंकड़े
	• बैंकों के पास सावधि जमाराशियाँ									
	बैंक का नाम	दिनांक	राशि	ब्याज-दर	अवधि	परिपक्वता की तारीख	प्राप्त ब्याज	उपचित ब्याज		
	• अन्य • उद्‍धृत मूल्य और बाजार मूल्य • कोट न किया गया									

अनुबंध III

31 मार्च .... को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

चालू आस्तियाँ. ऋण और अग्रिम

विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े	पिछले वर्ष के आंकड़े
(1)	(2)	(3)

जमाराशियाँ *परिसर के लिए *अन्य के लिए नकदी या वस्तु रूप में वसूलीयोग्य या प्राप्त किये जानेवाले मूल्य के लिए अग्रिम *पूँजीगत लेखे पर अग्रिम *अन्य अग्रिम *पूर्वदत्त व्यय * उपचित परंतु अदेय ब्याज चालू आस्तियों पर *प्राप्य ब्जाय *विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्टाफ को ऋण *स्टाफ को आवास ऋण *अन्य नकदी और बैंक शेष *हाथ में नकदी *हाथ में चेक *मार्गस्थ नकदी/चेक *अनुसूचित बैंकों के पास शेष (क) चालू खाते में (ख) जमा खाते में *गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष (क) चालू खाते में (ख) जमा खाते में		

अनुबंध IV

31 मार्च .... को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि

	विवरण	राशि
विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया जाए		

अनुबंध V

31 मार्च .... को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

आकस्मिक देयताएँ

विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े	पिछले वर्ष के आंकड़े

मदों के नाम का अलग- अलग उल्लेख किया जाए		

अनुबंध VI

31 मार्च .... को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े	पिछले वर्ष के आंकड़े
(i)	वेतन, भत्ते, मजदूरी और बोनस		
(ii)	भविष्य निधि आदि में अंशदान		
(iii)	उपदान (ग्रैच्युटी)		
(iv)	स्टाफ कल्याण संबंधी व्यय		
(v)	अन्य *पुस्तक अनुदान *छुट्टी यात्रा रियायत *बीमा *कैंटीन व्यय *मौद्रिक पुरस्कार - अध्ययन *सामूहिक बीमा योजना में अंशदान *स्टाफ द्वारा किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति		
	कुल		

अनुबंध VII

31 मार्च .... को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

स्थापना व्यय

विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े	पिछले वर्ष के आंकड़े
(1)	(2)	(3
*भवनों और परिसरों की मरम्मत और रखरखाव		
*आंतरिक व्यवस्था – कार्यालय का रखरखाव		
*उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव		
*टेलीफोन की मरम्मत और रखरखाव		
*उपस्कर		
*बिजली		
*बीमा		
*दरें और कर		

*मुद्रण और लेखन-सामग्री		
*पुस्तकें/पत्रिकाएँ आदि		
*डाक-व्यय, तार और टेलीफोन आदि		
*यात्रा और वाहन		
*शिक्षा/प्रशिक्षण/आर एण्ड डी/शिकायत निवारण संबंधी व्यय		
*लेखा-परीक्षा शुल्क		
*साफ्टवेयर		
*प्रचार और विज्ञापन		
*भर्ती संबंधी व्यय		
*प्राधिकरण तथा सलाहकार समिति की बैठकों और अन्य बैठकों के व्यय		
*अतिथि-सत्कार व्यय		
*अन्य व्यय (व्ययों का प्रकार विनिर्दिष्ट करें, यदि व्यय सकल आय/प्राप्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक हों)		
कुल		

अनुबंध VIII

31 मार्च .... को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

ब्याज

विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े	पिछले वर्ष के आंकड़े
सरकार		
बैंक		
अन्य		
कुल		

अनुबंध IX

31 मार्च .... को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

लेखों का भाग बननेवाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ – विवरण दिया जाए।